

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.10.2021 जनपद देवरिया

दिनांक 06.10.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया में अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-

- * ➡ **थाना बनकटा*** पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त सलाउद्दीन पुत्र फुल मोहम्मद सा0 ठाकुर के रामपुर थाना नौतन जनपद सिवान बिहार गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 35 शीशी बन्टी बबली प्रत्येक 200 एमएल कुल 7 लीटर अवैध देशी शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।
- * ➡ **थाना खामपार*** पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त लक्ष्मण यादव पुत्र सर्वजीत यादव सा0 जानकी नगर थाना भोरे जनपद गोपालगंज बिहार गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक झोले में 27 शीशी बन्टी बबली प्रत्येक 200 एमएल कुल 5.4 लीटर अवैध देशी शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।
- * ➡ **थाना भाटपाररानी*** पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त राम सागर गौड़ पुत्र शिवनाथ गौड़ सा0 बेलपार पण्डित थाना भाटपाररानी देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 26 शीशी बन्टी बबली प्रत्येक 200 एमएल कुल 5.2 लीटर अवैध देशी शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

02.थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ 01अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक 06.10.2021 को थानाध्यक्ष तरकुलवा मय फोर्स देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर सिरवनिया मोड़ से एक व्यक्ति को एक अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता गुफरान पुत्र किताबुन सा0 दूबे टोला थाना तरकुलवा देवरिया बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01अदद नाजायज चाकू बरामद करते हुये तरकुलवा पुलिस द्वारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03.थाना मईल पुलिस द्वारा 580 ग्राम अवैध गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक 06.10.2021 को थानाध्यक्ष मईल के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर बरठा लाला चौराहे के पास से एक व्यक्ति के पास से 580 ग्राम अवैध नाजायज गांजा बरामद किया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछे जाने पर उनके द्वारा अपना नाम पता प्रकाश राजभर पुत्र जवाहिर राजभर सा0 जयनगर भटोली थाना बरहज देवरिया बताया। उनके पास बरामद 580 ग्राम अवैध गांजा को कब्जे में लेते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

04.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-

दिनांक 06.10.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा 02 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है ।

- * ➡ **थाना कोतवाली-*** मु0अ0सं0 424/2021 धारा 323,504,506,308 भा0द0वि0 नाम व पता अभियुक्त-01.विशाल मिश्र पुत्र स्व0 वीरेन्द्र मिश्र सा0 साकेतनगर थाना कोवताली देवरिया ।
- * ➡ **थाना बनकटा-*** मु0अ0सं0 02/2020 धारा 306,323 भा0द0वि0 नाम व पता अभियुक्त-01.रूपेश मद्धेशिया पुत्र हरिलाल मद्धेशिया सा0 सोहनपुर थाना बनकटा देवरिया ।

***05. निरोधात्मक कार्यवाही-**

दिनांक 06.10.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

- ➡जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 126 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया ।

***06. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-**

दिनांक 06.10.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शांतिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

- ➡वाहन चेकिंग के दौरान 114 वाहनों से 1,14,500 रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया ।